

केंद्रीय विद्यालय ऑयल, दुलियाजान
ऑयल इंडिया परिसर
दुलियाजान - 786602
दूरभाष - 0374-2800573
ऑयल - 8998/99
ई-मेल: duliajan1869@gmail.com
ppl.duliajanoil@kvs.gov.in



KENDRIYA VIDYALAYA OIL DULIAJAN
OIL INDIA CAMPUS
DULIAJAN - 786602
Phone- 0374-2800573(P&T)
OIL-8998/99
website: duliajan.kvs.ac.in
CBSE Affiliation Code: 200012
CBSE School Code: 39266

फा.सं.421869/के.वि.दु./प्रशा/2026-27/968-973

दिनांक:17.08.2026

आदेश

विषय: कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत विद्यालय स्तरीय आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का पुनर्गठन।

संदर्भ: 1.फा.सं.42030/2025-26/के.वि.सं./क्षे.का./तिन/प्रशा./ICC/22645-22723 दिनांक:26.12.2025.

2.फा.सं.42030/2025-26/के.वि.सं./क्षे.का./तिन/प्रशा./ICC/2721-92 दिनांक:13.08.2026.

उपरोक्त संदर्भित पत्रों के अनुपालन में तथा केन्द्रीय विद्यालय संगठन के निर्देशों तथा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4(2) के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए, इस विद्यालय द्वारा इस संबंध में पूर्व में जारी आदेशों का अधिक्रमण करते हुए निम्नलिखित सदस्यों की परिशोधित विद्यालय स्तरीय आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का तत्काल प्रभाव से गठन किया जाता है।

क्र.सं.	नामावली	नामित अधिकारी/सदस्य का नाम	पद
1.	पीठासीन अधिकारी	श्रीमती एनजी. सरजूबाला देवी (केन्द्रीय विद्यालय संगठन तिनसुकिया संभाग की आंतरिक शिकायत समिति की पीठासीन अधिकारी)	सहायक आयुक्त केन्द्रीय विद्यालय संगठन कोलकाता संभाग
2.	एन.जी.ओ. सदस्य	श्रीमती ज्योति सिन्हा	कोषाध्यक्ष मृणाल ज्योति दुलियाजान
3.	सदस्य	श्रीमती श्यामली बोकालीयाल	पी.जी.टी.(अंग्रेजी) केन्द्रीय विद्यालय ऑइल दुलियाजान
4.	सदस्य	श्री सत्येन्द्र शरत	पी.जी.टी.(अंग्रेजी) केन्द्रीय विद्यालय ऑइल दुलियाजान
5.	सदस्य	श्रीमती बिजू सोनोवाल	अभिभावक प्रतिनिधि विद्यालय प्रबंधन समिति केन्द्रीय विद्यालय ऑइल दुलियाजान

यह समिति केवि (ऑइल), दुलियाजान के कर्मचारियों (PGT स्तर तक के अध्यापक और ASO स्तर तक के गैर शैक्षणिक कर्मचारी) के विरुद्ध कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करेगी, जिसमें प्राचार्य, उप-प्राचार्य एवं प्रधानाध्यापक शामिल नहीं होंगे। समिति POSH अधिनियम, 2013 तथा केन्द्रीय विद्यालय संगठन के संबंधित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य करेगी। इस ICC का कार्यकाल अधिकतम तीन वर्ष तक अथवा अगले आदेश तक रहेगा।

वितरण:

1. ICC के सभी सदस्य - सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. उपायुक्त, केवि संगठन (क्षेत्रीय कार्यालय), तिनसुकिया - सूचना हेतु।
3. सभी शिक्षक एवं कर्मचारी, केवि (ऑइल), दुलियाजान - सूचना हेतु।
4. सूचना पट्ट एवं विद्यालय की वेबसाइट - POSH अधिनियम के तहत आवश्यक सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु।

(मनोज कुमार सादराणी)

प्राचार्य/Principal

केन्द्रीय विद्यालय ऑइल दुलियाजान, ऑयल
KV Duliajan, OIL